भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **904** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

क्रूज भारत मिशन

† 904. श्री पी. पी. चौधरी :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :
श्री विजय कुमार दूबे :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री परषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रूज़ भारत मिशन शुरू किया है और यदि हां, तो इसके उद्देश्य, कार्यान्वयन समय-सीमा, पहचाने गए क्रूज़ सर्किट और देश में क्रूज़ पर्यटन की संभावनाओं सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में क्रूज़ पर्यटन अवसंरचना की वर्तमान स्थिति और इस मिशन के तहत विकास के लिए पहचाने गए विशिष्ट पत्तनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में क्रूज़ पर्यटकों की संख्या और राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्रूज़ पर्यटन अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन/ नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस मिशन के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में क्रूज़ पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): जी हां, क्रूज़ भारत मिशन, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए सरकार का पूरा सहयोग प्रदान करने के लक्ष्य के साथ दिनांक 30 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया।

वर्तमान में, छः महापत्तनों में क्रूज़ टर्मिनल हैं। ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पत्तन, गोवा में मूरगांव पत्तन, कर्नाटक में नव मंगलूर पत्तन, केरल में कोचीन पत्तन, महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन और तमिलनाडु में चैन्ने पत्तन हैं। क्रूज़ भारत मिशन का लक्ष्य वर्ष 2029 तक समुद्री क्रूज़ पर्यटकों की संख्या 10 लाख तक करने की है।

(घ) और (ङ): क्रूज़ पोतों के प्रचालन व्यवसाय में लगे अप्रवासीय के लिए एक पूर्व संभावित कर प्रणाली को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2024 में एक नई धारा 44 बीबीसी को शामिल करते हुए लागू किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे व्यवसाय से ऐसे कर निर्धारिती के लाभ और मुनाफ़े के रूप में ऐसे कर निर्धारिती को प्राप्त की गई या प्राप्त करने योग्य या भुगतान की गई अथवा भुगतान करने योग्य औसत राशि का बीस प्रतिशत माना जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 में एक नए खंड (15बी) को शामिल करते हुए मूल्यांकन वर्ष 2030-31 तक लीज़ रेंटल से विदेशी कंपनी की आय को छूट प्रदान किया गया है, यदि ऐसी विदेशी कंपनी तथा अप्रवासी क्रूज़ पोत प्रचालक का एक ही होल्डिंग कंपनी हो। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

*****